

जना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जनपद के अन्तर्गत रा0रा0मा0 134 (पुराना रा0रा0मार्ग-94)  
यमुनोत्री) के कि0मी0- 24.300 से कि0मी0- 51.900 तक सिलक्यारा बैण्ड सुरंग निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित  
है0 वन भूमि का हस्तान्तरण।

पण स्थलों का विवरण- बिगराडी कक्ष संख्या- 7ए अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।  
नाम- रंवाई रेंज।

किये जाने वाले पौधों की संख्या-14000 पौध (क्षेत्रफल 7.00 है0)

वसूली वर्ष 2017-18

रोपित किए जाने वाले पौधों की संख्या प्रथम चरण

| कार्य का विवरण                                                                                          | इकाई         | इकाई दर (रु0) | घनराशि    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|
| 2                                                                                                       | 3            | 4             | 5         |
| सर्वे एवं सीमांकन                                                                                       |              |               |           |
| क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)                                                                        | प्र0है0      | 120           | 840       |
| अग्रिम दीवाल बन्दी (फैन्सिंग) प्र0है0 84 घ0मी0 औसत (पत्थरों का दुलान 500 मी0 से 1000 मी0)               | प्र0है0      | 1578          | 11046     |
| कन्टर फरों कार्य (500 पौध के साथ 600 र0मी0 तथा अन्य के साथ 300 र0मी0) का खुदान                          | प्र0घ0मी0    | 316           | 185808    |
| अग्रिम मृदा कार्य (0.30X0.30X0.45)                                                                      | प्र0र0मी0    | 10.00         | 21000     |
| निरीक्षण बटिया बनाना                                                                                    | प्र0गड्डा    | 7.40          | 103600    |
| रोपण क्षेत्र में प्रवेश हेतु सीडी बनाना (5 नं0)                                                         | प्र0है0      | 485           | 3395      |
| पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)                                                                              | प्र0सीडी     | 663           | 3315      |
| अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र औजार तेज करना                                                            | प्र0पौध      | 593           | 83020     |
| भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण (10 है0 को आधार मानते हुये) परकुलेशन टैंक (वर्षा जल संरक्षण) (96 नं0)       | प्र0है0 7नं0 | L.S           | 3423      |
| पत्थरों के चैक डेम (2.5 मी0 X 2.50 मी0 X 3.00मी0)                                                       | प्र0है0      | 9150          | 64050     |
| पत्थरों के चैक डेम (2 मी0 X 2 मी0 X 2.50 मी0)                                                           | 5 नं0        | 20000         | 100000    |
|                                                                                                         | 4 नं0        | 15000         | 60000     |
| योग प्रथम चरण                                                                                           |              |               | 639497.00 |
| द्वितीय चरण                                                                                             |              |               |           |
| गड्डा भरण कार्य (0.30X0.30X0.45)                                                                        | प्र0गड्डा    | 1.3           | 18200     |
| कन्टर फरों में बीज बुआई (500 पौध के साथ 600 र0मी0 तथा अन्य के साथ 300 र0मी0)                            | प्र0र0मी0    | 0.8           | 1680      |
| पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)                                                                            | प्र0पौध      | 1.05          | 14700     |
| पौध दुलान कार्य (25 प्रतिशत नंगी जड तथा 75 प्रतिशत बैग पौध रोपण तथा 25 किमी वाहन व 3किमी सिरबोझ औसत पर) | प्र0पौध      | 6.5           | 91000     |
| पौधरोपण व थावलाबन्दी                                                                                    | प्र0पौध      | 2.74          | 38360     |
| नेराई गुडाई व मल्लिग (दो बार)                                                                           | प्र0पौध      | 3             | 42000     |
| प्राद व दवा पर व्यय                                                                                     | प्र0सै0पौध   | 21            | 2940      |
| रेख-रेख व रखरखाव रोपण वर्ष में 9 माह (कम से कम 10 है0 पर) (10 चौकीदार)                                  | प्र0माह      | 6870          | 61830     |
| 1. वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0              | प्र0है0      | 367           | 2569      |

|                                                                                                                                                                                                                           |         |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|
| 2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरवाड के बाहर 4मी0 की पट्टी साफ करना                                                                                                                                                                   | प्र0है0 | 277  | 1939      |
| 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना                                                |         |      |           |
| अ. प्रशिक्षण                                                                                                                                                                                                              | प्र0है0 | 577  | 4039      |
| ब. प्रोत्साहन                                                                                                                                                                                                             | प्र0है0 | 289  | 2023      |
| अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध डुलान हेतु टोकरी सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट क्रय, वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी, फील्ड स्तरीय, कार्यों का प्रचार, प्रसार एवं डेक्कमेंटेशन आदि कार्य | प्र0है0 | 1327 | 9289      |
| कन्दूर खाईयो मे घास रिलप का रोपण डुलान सहित                                                                                                                                                                               | प्र0है0 | 883  | 6181      |
| योग द्वितीय चरण                                                                                                                                                                                                           |         |      | 296750.00 |
| कुल योग- (प्रथम एवं द्वितीय चरण)                                                                                                                                                                                          |         |      | 936247.00 |

रोपण के बाद द्वितीय वर्ष का अनुरक्षण

|                                                                                                                                                                     |         |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|
| रोपण, वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर) (10 चौकीदार)                                                        | प्र0माह | 6870 | 82440 |
| वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सुखे घास-फुस एवं ज्वलशील पदार्थों को हटाना                                                                                         | प्र0है0 | 367  | 2569  |
| सुरक्षा दीवाल/घेरवाड के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना                                                                                                                | प्र0है0 | 277  | 1939  |
| वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनिय कार्य हेतु व्यक्तियों/समिति को प्रोत्साहन देना |         |      |       |
| अ. प्रशिक्षण                                                                                                                                                        | प्र0है0 | 577  | 4039  |
| ब. प्रोत्साहन                                                                                                                                                       | प्र0है0 | 289  | 2023  |
| योग:-                                                                                                                                                               |         |      | 93010 |

रोपण के बाद तृतीय वर्ष का अनुरक्षण

|                                                                                                                                                                     |         |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|
| रोपण, वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर) (10 चौकीदार)                                                        | प्र0माह | 6870 | 82440 |
| वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सुखे घास-फुस एवं ज्वलशील पदार्थों को हटाना                                                                                         | प्र0है0 | 367  | 2569  |
| सुरक्षा दीवाल/घेरवाड के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना                                                                                                                | प्र0है0 | 277  | 1939  |
| वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनिय कार्य हेतु व्यक्तियों/समिति को प्रोत्साहन देना |         |      |       |
| अ. प्रशिक्षण                                                                                                                                                        | प्र0है0 | 577  | 4039  |
| ब. प्रोत्साहन                                                                                                                                                       | प्र0है0 | 289  | 2023  |
| योग:-                                                                                                                                                               |         |      | 93010 |

रोपण के बाद चतुर्थ वर्ष का अनुरक्षण

|                                                                                                              |         |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|
| रोपण, वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर) (10 चौकीदार) | प्र0माह | 6870 | 82440 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|

|                                                                                                                                                                   |          |     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------|
| वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सुखे घास-फूस एवं ज्वलशील पदार्थों को हटाना                                                                                       | प्र० है० | 367 | 2569  |
| सुरक्षा दीवाल/घेरवाड के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना                                                                                                              | प्र० है० | 277 | 1939  |
| वृक्षारोपण से लभान्ति होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनिय कार्य हेतु व्यक्तियों/समिति को प्रोत्साहन देना |          |     |       |
| अ. प्रशिक्षण                                                                                                                                                      |          |     |       |
| ब. प्रोत्साहन                                                                                                                                                     | प्र० है० | 577 | 4039  |
|                                                                                                                                                                   | प्र० है० | 289 | 2023  |
| योग:-                                                                                                                                                             |          |     | 93010 |

|                                                                                                                                                                   |          |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------|
| रोपण के बाद पाचवा वर्ष का अनुरक्षण                                                                                                                                |          |      |       |
| रोपण, वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है० आधार मानकर) (10 चौकीदार)                                                      | प्र० माह | 6870 | 82440 |
| वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सुखे घास-फूस एवं ज्वलशील पदार्थों को हटाना                                                                                       | प्र० है० | 367  | 2569  |
| सुरक्षा दीवाल/घेरवाड के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना                                                                                                              | प्र० है० | 277  | 1939  |
| वृक्षारोपण से लभान्ति होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनिय कार्य हेतु व्यक्तियों/समिति को प्रोत्साहन देना |          |      |       |
| अ. प्रशिक्षण                                                                                                                                                      | प्र० है० | 577  | 4039  |
| ब. प्रोत्साहन                                                                                                                                                     | प्र० है० | 289  | 2023  |
| योग:-                                                                                                                                                             |          |      | 93010 |

|                                                                                                                                                                   |          |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------|
| रोपण के बाद छठा वर्ष का अनुरक्षण                                                                                                                                  |          |      |       |
| रोपण, वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है० आधार मानकर) (10 चौकीदार)                                                      | प्र० माह | 6870 | 82440 |
| वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सुखे घास-फूस एवं ज्वलशील पदार्थों को हटाना                                                                                       | प्र० है० | 367  | 2569  |
| सुरक्षा दीवाल/घेरवाड के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना                                                                                                              | प्र० है० | 277  | 1939  |
| वृक्षारोपण से लभान्ति होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनिय कार्य हेतु व्यक्तियों/समिति को प्रोत्साहन देना |          |      |       |
| अ. प्रशिक्षण                                                                                                                                                      | प्र० है० | 577  | 4039  |
| ब. प्रोत्साहन                                                                                                                                                     | प्र० है० | 289  | 2023  |
| योग:-                                                                                                                                                             |          |      | 93010 |

|                                                                                                              |          |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------|
| रोपण के बाद सातवा वर्ष का अनुरक्षण                                                                           |          |      |       |
| रोपण, वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है० आधार मानकर) (10 चौकीदार) | प्र० माह | 6870 | 82440 |
| वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सुखे घास-फूस एवं ज्वलशील पदार्थों को हटाना                                  | प्र० है० | 367  | 2569  |
| सुरक्षा दीवाल/घेरवाड के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना                                                         | प्र० है० | 277  | 1939  |

|                                                                                                                                                                    |         |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------|
| प्रशिक्षण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनिय कार्य हेतु व्यक्तियों/समिति को प्रोत्साहन देना |         |     |       |
| प्रशिक्षण                                                                                                                                                          | प्र0है0 | 577 | 4039  |
| प्रोत्साहन                                                                                                                                                         | प्र0है0 | 289 | 2023  |
| योग:-                                                                                                                                                              |         |     | 93010 |

|                                                                                                                                                                   |         |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|
| रोपण के बाद आठवा वर्ष का अनुरक्षण                                                                                                                                 |         |      |       |
| रोपण, वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (न्यूनतम से कम 10 है0 आधार मानकर) (10 चौकीदार)                                                 | प्र0माह | 6870 | 82440 |
| प्रारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सुखे घास-फूस एवं ज्वलशील पदार्थों को हटाना                                                                                         | प्र0है0 | 367  | 2569  |
| सुरक्षा दीवाल/घेरवाड के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना                                                                                                              | प्र0है0 | 277  | 1939  |
| प्रारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनिय कार्य हेतु व्यक्तियों/समिति को प्रोत्साहन देना |         |      |       |
| प्रशिक्षण                                                                                                                                                         | प्र0है0 | 577  | 4039  |
| प्रोत्साहन                                                                                                                                                        | प्र0है0 | 289  | 2023  |
| योग:-                                                                                                                                                             |         |      | 93010 |

|                                                                                                                                                                   |         |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|
| रोपण के बाद नवा वर्ष का अनुरक्षण                                                                                                                                  |         |      |       |
| रोपण, वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (न्यूनतम से कम 10 है0 आधार मानकर) (10 चौकीदार)                                                 | प्र0माह | 6870 | 82440 |
| प्रारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सुखे घास-फूस एवं ज्वलशील पदार्थों को हटाना                                                                                         | प्र0है0 | 367  | 2569  |
| सुरक्षा दीवाल/घेरवाड के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना                                                                                                              | प्र0है0 | 277  | 1939  |
| प्रारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनिय कार्य हेतु व्यक्तियों/समिति को प्रोत्साहन देना |         |      |       |
| प्रशिक्षण                                                                                                                                                         | प्र0है0 | 577  | 4039  |
| प्रोत्साहन                                                                                                                                                        | प्र0है0 | 289  | 2023  |
| योग:-                                                                                                                                                             |         |      | 93010 |

|                                                                                                                                                                   |         |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|
| रोपण के बाद दशवा वर्ष का अनुरक्षण                                                                                                                                 |         |      |       |
| रोपण, वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (न्यूनतम से कम 10 है0 आधार मानकर) (10 चौकीदार)                                                 | प्र0माह | 6870 | 82440 |
| प्रारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सुखे घास-फूस एवं ज्वलशील पदार्थों को हटाना                                                                                         | प्र0है0 | 367  | 2569  |
| सुरक्षा दीवाल/घेरवाड के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना                                                                                                              | प्र0है0 | 277  | 1939  |
| प्रारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनिय कार्य हेतु व्यक्तियों/समिति को प्रोत्साहन देना |         |      |       |

|           |     |            |
|-----------|-----|------------|
| प्रति हे० | 577 | 4039       |
| प्रति हे० | 289 | 2023       |
| योग:-     |     | 93010      |
| कुल योग   |     | 1773337.00 |
| या        |     | 1773324.00 |

उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक-596/3-5-2 दिनांक 19.08.2015 द्वारा वसूली वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित दर प्रति हे० -253332 प्रति हे० X 7 हे० = 1773324.00

उप प्रभागीय वनाधिकारी  
अपर यमुना वन प्रभाग,  
बड़कोट

वन अधिकाारी  
रवाई वन राजि  
बड़कोट (उत्तराखण्ड)

प्रभागीय वनाधिकारी  
अपर यमुना वन प्रभाग  
बड़कोट (उत्तराखण्ड)

General Manager (Project)  
National Highways & Infrastructure Development Corp. Ltd.  
58/37, 1st Floor, Balbeer Road  
B.O. Dehradun-248001 (Uttarakhand)